

## APPLICATION FOR SEEKING INFORMATION UNDER THE RIGHT TO INFORMATION ACT 2005.

To

The Central Public Information Officer,

The Senior Executive Engineer,

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Entriprise)

400/220 K.V., Sub Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, U.P., PIN Code-208001.

- 1. Name of the Applicant: Shanti Prakash Yadav S/O- Late Shankar Singh.
- 2. Permanent Address:-Village- Nagala Vali, P/O- Bhadana, PS- Eka,

Tehsil- Jasrana, District:- Firozabad, U.P. Mobile No.- 9818120682, 9818166409.

Sir it is respectfully submitted as under:-

- 3. INFORMATION SOUGHT:-
- (A) Whether the applicant was instructed/ directed to remove the plants, planted in the field of applicant as mentioned in the slip issued by the officer of the corporation/company. Following the instruction/order, the applicant removed/cut the trees which were standing on the way of transmission line of power. Kindly find enclosed red colored original slip issued by the officer of the corporation dated 15.10.2014. (1 page).
- (B) Whether the applicant is entitled an appropriate compensation of trees which were removed/cut on the instruction/order of officer, as mentioned in the red slip as original annexed herewith?
- (C) Whether non-payment of compensation of damaged trees, despite repeated oral request for the same and passing long period of time is amount to dereliction of duties of a public servant?

Wiscesh Kumar

- (D) Whether non action by the public servant on account of non-payment of compensation of damaged trees does not create suspicion that the payment of compensation for damaged trees was not made because illegal gratification was not paid?
- (E) What action would like to take against the concerned public Authority for dereliction of their duties on their part?
- (F) Kindly take an appropriate 'punitive and administrative' action as per law and supply the information to the applicant.
- (G) You are also requested to take an appropriate steps for making payment of compensation for damaged trees as mentioned in the red slip original annexed, within a period of one month start from the date of received of this RTI Application.
- (H) Kindly supply the information sought with documentary proof for the next course of action.
- (I) Kindly furnished the information sought parawise within a period of 30 days as stipulated time in the RTI Act 2005.
- 4. To the best of my knowledge that the information sought does not fall within the restriction contained in section 8 and 9 of the Act and it pertains to your office.
- 5. This to certify that I, Shanti Prakash Yadav S/O- Late Shankar Singh am a citizen of India.
- 6. A fee of Rs.10/- has been paid vide postal order No.51F 796462dated-01.09.2020.

Place: Firozabad, U.P.

Dated 05.10.2020

Applicant
Shanti Prakash Vadas

Though his real brother:-

Viresh Kumar, Adocate, S.C.

Address for all correspondence:-

Viresh Kumar,

Advocate, Supreme Court of India,

H. No.- 872, IInd Floor, Sector-1, Vasundhra, Ghaziabad, U.P.,

PIN-201012. Mobile No. - 9818120682, 9818166409.

## पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) 400/220 के ०वी०, उपकेन्द्र, पोस्ट-चकरपुर, कानपुर

546



			400/220		पावराग्रड
					· 1 dialiy
नोटिस संख्या : एन-1 केपी / 765 / का-झ पैकेज : पार्ट-1 दिनांक ! जिल्ला पिट-1 प्रापट-यारीकरा परिषण लाइन (पार्ट-1) एवं 400 के०वी० डबल सर्किट					
नोटिस संख्या : एन-1 केपी / 765 / का-झ पैकेज :पाट-। विषय : 765 के०वी० सिंगल सर्किट कानपुर-झटीकरा पारेषण लाइन (पार्ट-1) एवं 400 के०वी० डबल सर्किट					
मार्थित कानपर-झटीकरा पारेषण लाइन (पाट-1) एप नवर					
विषय: 765 कें व्योठ सिगल सामार पारेषण लाइन। (क्वाड) कानपुर-कानपुर पारेषण लाइन।					
	(2	खाड) कानपुर-	कानपुर पारवन सारा		
पहोदय, पुत्र श्रीक्षानपुर पार्च ।					
श्री					
न्या रहत केव्वी सिगल					
श्रीन आफ्री सचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंग्डिया स्टिन पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है।					
इस पत्र के द्वारा आपका पूर्व 400 के वि० डबल सिकट (ववाड) प्रान्त इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तानत					
ग्राम पश्चिम पश्च पश्चिम पश्चिम पश्चिम पश्चिम पश्चिम पश्च पश्चम पश्चम पश्चम पश्चम पश्चम पश्चम					
इस पत्र के द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिंड कारपारक्षित जानपुर नक्षानपुर पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा छ ।  सिर्कट कानपुर-झटीकरा पारेषण लाइन (पार्ट-1) एवं 400 के०वी० डबल सिर्कट (क्वाड) कानपुर-कानपुर पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा छ ।  सिर्कट कानपुर-झटीकरा पारेषण लाइन (पार्ट-1) एवं 400 के०वी० डबल सिर्कट (क्वाड) कानपुर-कानपुर पारेषण लाइन के अन्तर्गत  सिर्कट कानपुर-झटीकरा पारेषण लाइन के अन्तर्गत  इसके लिये विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 42 के साथ गठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत  इसके लिये विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 42 के साथ गठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत  इसके लिये विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 की धारा 42 के साथ गठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत  इस पत्र के द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कानपुर-कानपुर पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है।  निर्हित भित्रपा का प्रयोग करने को प्रावधानित किया गया है।  पारेषण लाइन के निर्माण के समय जो वृक्ष की क्षांत होती है उसके मुआवजे का भुगतान राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित तथा स्वामिल  पारेषण लाइन के निर्माण के समय जो वृक्ष की क्षांत होती है उसके मुआवजे का भुगतान राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित तथा स्वामिल					
निहित शावताया की प्रमाण के समय जी वृक्ष की क्षति होती है उसके मुजायर के निर्माण के समय जी वृक्ष की क्षति होती है					
सत्यापित होने के बाद पावरिप्रेड द्वारा देय होगा। सितिगुस्त / प्रभावित वृक्ष का विवरण					
Г	第0	लोकेशन नं०	प्रभावित	वृक्ष की मोटाई वृक्ष की ऊचाई	नार खारियन क
1	सं०	लाकश्रम गर	वृक्ष का विवरण/प्रजाति	1.23 H	STAINS -
	110	lable.	श्रीसम	1.72 41	61111
1		198/6-	पुलर्	1.05 1	
1		12012	don	0.80 M	
-		100	वर्ना	0.75 7	
			व निम्	0.95 1	
			371	00790M	
	-	-	्र आम	004304	
1					
7	1				
1	1				
2	1			3 = 2	
(मालिक द्वारा भरने हेतु)					
1	मैं /हम प्रमाणित करता हूँ कि -  (1) नुकसान हुये वृक्ष का केवल मैं /हम ही मालिक हूँ /हैं यदि अन्य कोई इन पर अपना स्वामित्व प्रमाणित करता है तो उसके लिये				
1	(1)	नुकसान हुये वृक्ष	का कवल म/हम हा आर		
4					
	(2)			लिये गये हैं।	1. D. G. M. m.do.
	(3)	(x) निशान लगे	वृक्ष काट लियं गयं तथा हटा	पर्ण पता सहित मालिक के हर	ताक्षर
1	(2) उपरोक्त दी गई सूचना मान्य है। (3) (X) निशान लगे वृक्ष काट लिये गये तथा हटा लिये गये हैं।  पूर्ण पता सहित मालिक के हस्ताक्षर				
सत्यापन एवं प्रमाणित					
		-		सत्यापन एवं अना न	
1	करि	नष्ठ अभियन्ता			वरि० अभियन्ता/उप प्रबन्धक/
2	. 44			ग्राम प्रधान	पारेषण लाइन (निमाण)
1		प्रतिलिपि :		(हस्ताक्षर व मोहर)	(नाम सहित हस्ताक्षर)
1	1	सम्बन्धित काश्तकार		आवश्यक कार्यवाही हेतु	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	2.	तहसीलदार-तहसील			
1		The Name of State of			

. 60×9918186-2890C18186-043119014 . Thorothy " His both long of the series · Liopos inolitatili. Clo. oh. il BIRTH TO THO SHOULD SHO



To

THROUGH REGISTERED POST

The Central Public Information Officer,

The Senior Executive Engineer

Power Grid Corporation of India Ltd.,

(Govt. of India Entriprise)

400/220 K.V., Sub Centre, Post- Chakarpur-Kanpur,

Kanpur, U.P., PIN Code-208001.

